मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2920
05 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास

2920 श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री संजय जाधवः
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत गरीब लोगों को उपलब्ध कराए गए घरों का कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) महाराष्ट्र के विशेष रूप से रामटेक, वाशिम-यवतमाल, उस्मानाबाद और परभणी जिलों में स्वीकृत मकानों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;
(घ) क्या सरकार ने पीएमएवाई-यू के अंतर्गत उस्मानाबाद जिले के लिए एक सौ नब्बे करोड़ रूपऐ आवंटित किए हैं;
(ङ) यदि हां, तो उक्त राशि में से कुल कितनी राशि जारी की गई और शेष राशि कब तक जारी होने की संभावना है;
(च) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत महाराष्ट्र में उस्मानाबाद सहित देश में गरीब परिवारों को आवंटन के लिए लंबित आवदेनों की सरकार के पास लंबित राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(छ) सरकार द्वारा उक्त आवेदनों के त्वरित अनुमोदन के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) जी, हाँ। गत तीन वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 74,36,097 आवासों को मंजूरी दी गई है। लाभार्थियों में शहरी गरीब शामिल हैं।

(ख) पीएमएवाई-यू के तहत, 19,295, 8,195, 15,093 आवासों को विशेष रूप से महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल, उस्मानाबाद और परभणी जिलों में स्वीकृत किया गया है। रामटेक के संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के लिए 128.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) एवं (ङ) अब तक, पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के लिए स्वीकृत 128.98 करोड़ रुपये में से, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को 34.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की पूर्ति के अध्यधीन केंद्रीय सहायता जारी की जाती है।

(च) एवं (छ) 'भूमि' और 'उपनिवेश' राज्य के विषय हैं। केंद्र सरकार पीएमएवाई-यू के तहत वित्तीय सहायता के माध्यम से आवास की मांग को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ा रही है। पीएमएवाई-यू मिशन के तहत परियोजनाओं और लाभार्थियों का चयन/पहचान संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर आता है।

*****